कार्यालय अधिठाता
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर–474009 (म0प्र0)

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल, दिनांक 17/12/2021
क्रमांक एफ 2–42/07/1/पचपन,

क्रमांक 48205 स्था.राज/22 ग्वालियर, दिनांक 23/12/2022

//विज्ञापन//

संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल के आदेश क्र. 1200–02/स्था/राज/ 2021 दिनांक 24.12.2021 में प्रदत्त अनुमति के आधार पर गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर द्वारा पूर्व निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर जूनियर रेजीडेन्ट के निम्नांकित रिक्त पदों पर सीमित समयावधि (Tenure) 3 वर्ष हेतु भरे जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में साक्षात्कार हेतु दिनांक **23.12.2022 शुक्रवार** की स्थिति में विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

प्रथम नियुक्ति एक वर्ष हेतु की जावेगी, प्राध्योपक एवं विभागाध्यक्ष के अनुशंसा एवं स्पष्ट अभिमत पर एक–एक वर्ष कर अधिकतम कुल तीन वर्ष तक आगे बढ़ाई जावेगी।

जूनियर रेसीडेन्ट (निश्चित वेतन रू. 56,355/– प्रतिमाह)

विभाग	रिक्त कुल पद	अनारक्षित (UR)	अजजा(ST)	अजा(SC)	ओ.बी.सी (OBC)
न्यूरोसर्जरी विभाग	02	01	01	00	00
न्यूरोलॉजी विभाग	02	01	00	00	01
न्यूरोसर्जरी ट्रामा	04	02	00	01	01
अस्थिरोग ट्रामा	03	01	01	00	01
निश्चेतना ट्रामा	02	01	00	01	00
कुल	13	06	02	02	03

साक्षात्कार दिनांक 28.12.2022 बुधवार, समय 12:30 बजे से

जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन के साथ रू. 750/– (सात सौ पचास) एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रू. 500/– (पॉच सौ) राशि को ऑन लाईन व बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के नाम देय कर की छायाप्रति संलग्न करें।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में अन्य पिछडा वर्ग आरक्षण 27 प्रतिशत के संबंध में दायर याचिका के अंतिम निर्णय के अधिन रहेगी।

जूनियर रेसीडेन्ट पद हेतु साक्षात्कार नोटिस जारी होने के उपरान्त **दिनांक 26.12.2022 सोमवार** (कार्य दिवस) को प्रातः 10:30 से 05:30 बजे तक गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेगें। **05:30 बजे के पश्चात् आवेदन पत्र नहीं लिये जावेगें।** एवं **दिनांक 28.12.2022 बुधवार**, को प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी का कार्य प्रातः 10:30 से 11:30 आरम्भ होगा। **आवेदन कर्ता को 10:30 बजे से 11:30 बजे तक उपस्थित होना होगा अन्यथा उसे स्क्रूटनी एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी** तत्पश्चात् दोपहर 12:30 बजे साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्र. एफ–4–7/2/55 दि. 25.08.2010 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातक छात्र जिनका चयन जूनियर रेसीडेन्ट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बांड से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाऐं देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति से ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बांड की शर्तें लागू हो जाएगीं और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगीं।

यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :–

जूनियर रेसीडेन्टस

पात्रता :–

1. जूनियर रेसीडेन्टस के पद के लिए एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होगें।
3. संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।

अपात्रता :–

7. बी.बी.एस./पाठ्यक्रम की अध्ययनरत् अवधि के अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य न किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहना।
8. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिये चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहना।

9. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
10. पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
11. बिन्दु 1 से 4 में दर्षित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्राएं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिये पात्र नही माने जायेगें।
12. उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में छात्र/छात्रा द्वारा इंटर्नशिप पूर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले Internship Completion Certificate में इस आशय की स्पष्ट टीप दिया जाना आवश्यक होगा।

चयन विधि :–

6. अधिष्ठाता द्वारा कॉलेज नोटिस बोर्ड व कॉलेज वेबसाईट के माध्यम से इन पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की जायेगी तथा अधिष्ठाता की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा साक्षत्कार के माध्यम से चिकित्सकों का चयन किया जायेगा।
7. योग्य अभ्यर्थियों का चयन उनके द्वारा एम.बी.बी.एस पाठ्यकम उत्तीर्ण करने में लगे नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी। Attempts, सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के सकल प्रतिशत एवं साक्षात्कार के आधार पर नियत होगा।
8. चयन हेतु प्रथमतः प्राथमिकता विज्ञापन जारी करने वाले स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को दी जायेगी। तत्पश्चात मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके पश्चात शेष रिक्त पदों के लिये प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/अन्य प्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के उम्मीदवारों पर विचार किया जायेगा।
9. चयनित जूनियर रेसीडेन्ट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
10. यदि अभ्यार्थी किसी अन्य संस्था में कार्यरत है तो साक्षात्कार के आवेदन करते समय उस संस्था की एन.ओ.सी. लाना अनिवार्य होगा तथा चयन के पश्चात नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत करने के पश्चात् ही विभाग में उपस्थिति मान्य होगी।

टेन्युअर (Tenure) :–

4. टेन्योर की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी।
5. एक वर्ष की टेन्योर अवधि पूर्ण होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित का कार्य संतोषप्रद होने सम्बन्धी की गई अनुसंशा के आधार पर आगामी वर्ष के लिये बढ़ाया जायेगा।
6. विभागाध्यक्ष द्वारा चिकित्सक का कार्य संतोषजनक रिपार्ट नहीं देने पर अथवा अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने पर उसकी सेवाऐं तत्काल समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।

आरक्षण :–

6. राज्य शासन द्वारा अद्यतन निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगीं।
7. आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध चिकित्सक उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग, सामान्य श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।
8. उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित हैं तथा प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित हैं।
9. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर चिकित्सकों से भरी जावेगी।

अवकाश :–

2. जूनियर रेसीडेन्ट प्रति सप्ताह 01 दिवस अवकाश की पात्रता होगी तथा प्रतिवर्ष 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी, साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। अवकाश के समस्त प्रकरणों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।

शिष्यावृति :– मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित तत्समय प्रचलित जूनियर रेसीडेन्ट हेतु शिष्यावृति देय होगी।

यात्रा भत्ता :– साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

अन्य शर्तें :–

11. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेसीडेन्टस से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
12. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
13. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
14. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
15. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
16. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अन्य राज्य की मेडिकल कौंसिल का पंजीयन होने की स्थिति में उम्मीदवार को चयन होने के पश्चात् 1 माह कें अंदर

म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल का पंजीयन कराना आवश्यक होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।

18. साक्षत्कार में सम्मलित होने वाले चिकित्सको को स्क्रूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी0एम0टी0/पी0जी0 फर्जीवाडे की सूची में नही है एवं उनके विरूद्व कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नही है, यदि इनके विरूद्व पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरूद्व प्रकरण पुलिस में दर्ज है तो इन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा तथा नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर 15 दिवस के अन्दर प्रार्थी अपने स्थायी निवास के पते के थाने से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा/करेगी। अन्यथा प्रार्थी का वेतन आहरण नहीं किया जावेगा।
19. साक्षात्कार के समय यदि विभाग में ओबीसी व ई.डब्ल्यू.एस. पद रिक्त है तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष .का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में सम्मलित किया जावेगा।
20. बॉण्डेड अभ्यर्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बॉण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है/आई है किन्तु मैंने अपनी ज्योनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ पत्र शासकीय सेवा के अन्तर्गत बॉन्ड के बदले जूनियर रेसीडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था, ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक 48205-20 स्था.राज/22 ग्वालियर, दिनांक 23/12/2022

प्रतिलिपि :

1. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
3. समस्त नोटिस बोर्ड चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा छात्रावास/लाइब्रेरी।
10. पुस्तकालय की ओर जी.आर.एम.सी.की बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
स्वशासी संस्था ग्वालियर (म0प्र)